न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमंद (राज0)

पीठासीन न्यायाधीश : अल्का शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण सं.–143/2026
(CIS No. 182/2026)
(CNR No. RJRS010004782026)
(न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के प्र.सं. 649/2015 रे.फौ. से संबंधित)
एफ.आई.आर. सं. 150/2015 पुलिस थाना चारभुजा

श्रवणनाथ पुत्र भोलेनाथ, निवासी जणावद, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

..... अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(अपराध धारा 454, 380 भारतीय दण्ड संहिता)

उपस्थित :–
1. श्री यशवंत कुमार शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री रामलाल जाट, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनाँक : 23.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नियमित आपराधिक प्रकरण सं. 649/2015 राज्य बनाम श्रवणनाथ वगैरह (प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 150/2015 थाना चारभुजा) के प्रकरण में सुनवाई हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा प्रकरण की मूल पत्रावली तलब कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस की गई कि प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में प्रार्थी/अभियुक्त गरीब व्यक्ति होकर गुजरात व अन्य स्थानों पर लम्बे समय तक मजदूरी करने के लिए जाता रहता है तथा नियत

पेशी के दिन भी प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी पर बाहर गया हुआ था तथा उसका अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं हो पाया, इसलिये न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहा और इसके पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त अन्य प्रकरण में लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा, जिसके कारण प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सका। प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 09.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होकर परिवार की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। प्रार्थी/अभियुक्त आयन्दा प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जाहिर किया गया है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है तथा उसके अनुपस्थित रहने से प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित रहा है। लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार परिवादिया श्रीमती नोजीबाई द्वारा उसके मकान के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताले तोड़कर जेवरात व रुपये चुराकर ले जाने के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चारभुजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 150/2015 पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त श्रवणनाथ व सहअभियुक्तगण राजुनाथ उर्फ राजेशनाथ व हेमन्त वैष्णव के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 454, 380 भारतीय दण्ड संहिता में एवं सहअभियुक्तगण भगवानाराम व मुकेश कुमार के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 04.12.2015 को विचारण न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि इस प्रकरण में विचारण के दौरान बहस चार्ज की स्टेज पर दिनांक 01.05.2019 को प्रार्थी/अभियुक्त के अकारण अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके

निरस्त किये जाकर गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया, परन्तु लम्बे समय तक प्रार्थी/अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने तथा गिरफ्तारी नहीं हो पाने से दिनांक 17.09.2022 को प्रार्थी/अभियुक्त को मफरूर घोषित किया जाकर स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में शेष सभी अभियुक्तगण के संबंध में विचारण पूर्ण किया जाकर दिनांक 21.06.2025 को निर्णय पारित किया गया, जिसके पश्चात् दिनांक 09.03.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त को स्थाई गिरफ्तारी की पालना में गिरफ्तार कर पेश किया गया। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त का इस दरमियान अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है, परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 01.12.2023 के अनुसार प्रोडक्शन वारण्ट पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रार्थी/अभियुक्त उस अन्य प्रकरण में दिनांक 06.04.2023 को कारागृह से रिहा हो चुका था, परन्तु इसके पश्चात् भी प्रार्थी/अभियुक्त 03 वर्ष तक स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के अनुसरण में उसकी तलाश कर गिरफ्तार कर पेश किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में अनावश्यक ही अत्यधिक लम्बे समय तक (दिनांक 01.05.2019 से 09.03.2026 तक) अनुपस्थित रहा है तथा उसकी अनुपस्थिति की अवधि में प्रकरण के शेष सभी अभियुक्तगण के संबधं में अंतिम निस्तारण हो चुका है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त पर अभी आरोपित विरचित किये जाने हैं। उक्त समस्त तथ्यों से यही प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की मंशा प्रारम्भ से ही प्रकरण को येन–केन–प्रकारेण विलम्बित करने की रही है, इसीलिये उसके द्वारा जमानत की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में इस संभावना से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त को अब पुनः जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुनः प्रकरण के विचारण को बाधित करेगा। लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों–परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अत्यधिक लम्बे समय तक अनुपस्थिति की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

5. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त श्रवणनाथ पुत्र भोलेनाथ, निवासी जणावद, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमन्द की ओर से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नियमित आपराधिक प्रकरण सं. 649/2015 राज्य बनाम श्रवणनाथ (प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 150/2015 थाना चारभुजा) में, प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(**अल्का शर्मा**)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

आदेश आज दिनाँक **23.03.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**अल्का शर्मा**)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

SOMENDRA SHARMA
Digitally signed by SOMENDRA SHARMA
Date: 2026.03.24 15:14:08 +05'30'